राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(40)एमई / ग्रुप–1 / 2014 जयपुर, दिनांक : 3/8/2021

परिपत्र

राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के संबंध में इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(13)एमई / ग्रुप–1 / 95 दिनांक 03.2.2011 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अधिक्रमण में निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी जाते है :–

(1) संबंधित मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक शिक्षक की प्रथम नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठतम आचार्य की अतिरिक्त प्रधानाचार्य–प्रथम के पद पर नियुक्ति की जावेगी।

(2) वरिष्ठतम आचार्य के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक होने अथवा उसके द्वारा अनिच्छा व्यक्त करने पर द्वितीय वरिष्ठतम आचार्य को अतिरिक्त प्रधानाचार्य–प्रथम नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर चिकित्सक शिक्षक को 3 वर्ष अथवा विभागीय ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक प. 1(2)एमई / ग्रुप9–1 / 2017 पार्ट दिनांक 17.4.2018 के अनुसार आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। इस अवधि में उसकी सेवाएं सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर 3 वर्ष की अवधि से पूर्व भी उसको पदच्युत किया जा सकेगा।

(4) 3 वर्ष की सेवाएं सन्तोषजनक पाये जाने पर उसको उक्त पद पर एक बार में 01 वर्ष तथा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) 3 वर्ष से अधिक समयावधि से वर्तमान में कार्यरत अतिरिक्त प्रधानाचार्यों के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा उनके कार्यों को रिव्यू करते हुए उनका कार्यकाल 01 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(6) अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षक द्वारा उक्त पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने अथवा उस पर गम्भीर आरोप / भ्रष्टाचार में लिप्तता / प्रशासनिक अकुशलता होने पर 3 वर्ष की अवधि से पूर्व भी उसको पदच्युत किया जा सकेगा।

(7) संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज स्व–विवेक से अतिरिक्त प्रधानाचार्य को अपनी कतिपय प्रशासनिक शक्तियां एवं दायित्व प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

क्रमशः– 2

(8) संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज के अवकाश पर जाने अथवा इस पद के किसी भी कारण से अस्थाई रूप से रिक्त होने पर, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के अवकाश काल की समाप्ति अथवा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के पद को नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा इस संबंध में राज्य सरकार के अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के पद का कार्यभार अतिरिक्त प्रधानाचार्य–प्रथम द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

(9) अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित चिकित्सक शिक्षक के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच अथवा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कोई प्रकरण विचाराधीन/लम्बित न हो।

आज्ञा से,

3/8/2021

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर, उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(40)एमई / ग्रुप–1 / 2014

जयपुर, दिनांक : 3/8/2021

परिपत्र

राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यभार की वृद्धि, स्नातक सीटों एवं स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि, संलग्न चिकित्सालयों में शैय्याओं में अभिवृद्धि के दृष्टिगत प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज को विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता के क्रम में अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों की अधिकतम संख्या (Ceiling) नियतन हेतु निम्न मानदण्ड (नॉर्म्स) निर्धारित किये जाते है :–

क्र.सं.	मानदण्ड	सीटों की संख्या	अतिरिक्त प्रधानाचार्यों की संख्या
1.	स्नातक सीटों की संख्या	150 सीटों तक	1
		150 सीटों से अधिक	2
2.	स्नातकोत्तर / अति विशिष्ठता (सुपरस्पेशियलिटी) सीटों की संख्या	200 सीटों तक	1
		200 से 350 सीटों तक	2
		350 सीटों से अधिक	3
3.	संलग्न चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या	2500 शैय्याओं तक	1
		2500 शैय्याओं से अधिक	2

(2) अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर चयन, कार्यकाल अवधि, अभिवृद्धि की प्रक्रिया एवं पुनर्नियुक्ति संबंधी दिशा–निर्देश अन्य विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.8.2021 के अनुसार होंगे।

आज्ञा से,
3/8/2021
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर, उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

3/8/2021
(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव

Scanned with CamScanner